41–(08)–56–2018

पटना में दिनांक–25 सितम्बर, 2018 मंगलवार को अपराह्न 4:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

भवन निर्माण विभाग

1.	₹61.46 करोड़ (एकसठ करोड़ छियालीस लाख) की लागत पर विकास भवन, पटना का जीर्णोद्धार एवं पुनर्विकास योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	1.	स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

2.	₹84.49 करोड़ (चौरासी करोड़ उनचास लाख) की लागत पर "बापू टावर" पटना के निर्माण कार्य के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	2.	स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

3.	₹61.62 करोड़ (एकसठ करोड़ बासठ लाख) की लागत पर विश्वेश्वरैया भवन, पटना का जीर्णोद्धार एवं पुनर्विकास योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	3.	स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

4.	व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा Apprentics Act. 1961 के अन्तर्गत राज्य सरकार के अधीन कार्यरत उपक्रमों/निगमों में डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त छात्रों का Graduate Apprentice एवं Diploma Apprentice के रूप में प्रशिक्षण देने के संबंध में।	4.	स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

5.	त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति जिला पदाधिकारी के स्तर से करने के संबंध में।	5.	स्वीकृत।

वित्त विभाग

6.	दिनांक–01/01/2016 के प्रभाव से स्वीकृत पुनरीक्षित वेतन संरचना के संदर्भ में दिनांक–01.01.2016 अथवा बाद की तिथियों में कार्यात्मक एवं अकार्यात्मक प्रोन्नति प्राप्त होने पर राज्य कर्मी का वेतन निर्धारण के क्रम में विकल्प चयन के संबंध में।	6.	स्वीकृत।

वित्त विभाग

7.	राज्य सरकार के वित्त विभाग के अंतर्गत स्थापित बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड के राज्य स्तरीय कार्यालय में पदों के सृजन के संबंध में।	7.	स्वीकृत।

वित्त विभाग

8.	राज्य के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन विसंगति के मामलों पर विचार हेतु गठित वेतन विसंगति निराकरण समिति पुनर्गठन के संबंध में।	8.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

9.	डा० अशोक कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अरियरी, शेखपुरा के विरूद्ध अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दण्ड अधिरोपित करने के संबंध में।	9.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

10.	विभागीय जाँच आयुक्त के कार्यालय के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन हेतु पदसृजन के संबंध में।	10.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

11.	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में कार्य बोझ बढ़ने के कारण बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लिए ₹1,21,63,188/—(एक करोड़ इक्कीस लाख तिरसठ हजार एक सौ अठासी) के संभावित वार्षिक व्यय भार (बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वहन किया जाएगा) पर विभिन्न श्रेणी के कुल—16 पदाधिकारियों का पद सृजित करने के संबंध में।	11.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

12.	बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना को वित्तीय वर्ष 2018—19 में सहायक अनुदान की राशि ₹69,32,51,000/—(उनहत्तर करोड़ बत्तीस लाख एकावन हजार) रूपये मात्र की स्वीकृति।	12.	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

13.	बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता की कंडिका 163 में संशोधन के संबंध में।	13.	स्वीकृत।

वाणिज्य—कर विभाग

14.	बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन करने के संबंध में।	14.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

15. वित्तीय वर्ष 2018–19 में समग्र शिक्षा अभियान (तत्कालीन सर्व शिक्षा अभियान) स्कीम अन्तर्गत केन्द्रांश मद में Ad-hoc के रूप में प्राप्त राशि ₹ 2,11,65,45,000/–(दो अरब ग्यारह करोड़ पैंसठ लाख पैंतालीस हजार रूपये) एवं इसके विरूद्ध समानुपातिक राज्यांश की राशि ₹1,41,10,30,000/–(एक अरब एकतालीस करोड़ दस लाख तीस हजार रूपये) की सहायक अनुदान मद में व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति। — 15. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

16. "बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2015" में प्रयुक्त शब्दों "कर्मचारी" एवं "चयन" को "सेवा" शब्द से प्रतिस्थापित करने, नियम–6(1) में अंकित "रू० 4800/–(चार हजार आठ सौ) ग्रेड पे अथवा समय–समय पर यथा–पुनरीक्षित समरूप ग्रेड पे से कम ग्रेड पे वाले" को विलोपित करने एवं तत्संबंधी "(संशोधन) नियमावली–प्रारूप" की स्वीकृति के संबंध में। — 16. स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

17. सी०डब्लू०जे०सी० सं०–10653/2008 अनिरूद्ध झा बनाम् बिहार सरकार एवं अन्य के मामले में पारित निर्णय के आलोक में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भागलपुर के तत्कालीन सहायक, श्री अनिरूद्ध झा की सेवा का सरकारी सेवक के रूप में समायोजन के संबंध में। — 17. स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग

18. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यान्वित किये जाने वाली योजनाओं के लिए अतिरिक्त 31800.00 लाख (तीन अरब अठारह करोड़) रूपये की राशि बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम उपलब्ध कराने की स्वीकृति। — 18. स्वीकृत।

गन्ना उद्योग विभाग

19. बिहार राज्य चीनी निगम लि० के 15 (पन्द्रह) इकाइयों यथा बनमंखी, गोरौल, वारिसलीगंज, समस्तीपुर, न्यू सावन, हथुआ, गुरारू, लोहट, सीवान, लौरिया, सुगौली, बिहटा, मोतीपुर, रैयाम एवं सकरी के कर्मियों का बकाये वेतनादि मद में भुगतान करने हेतु मुख्यशीर्ष–2852–उद्योग के अन्तर्गत बिहार आकस्मिकता निधि से मो० 127,53,09,000.00 (एक सौ सताईस करोड़ तिरपन लाख नौ हजार रूपये) अग्रिम स्वीकृति के संबंध में। — 19. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

20.	"मुख्यमंत्री निश्चय योजना" के तहत "हर घर नल का जल" की योजनाओं एवं विभाग की अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु Standard Bid Document में पुनरीक्षित प्रावधानों की स्वीकृति।	20.	स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

22.	पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन हेतु "पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि० (PMRCL)" नामक SPV का गठन (AoA एवं MoA सहित) तथा उक्त SPV का Authorized Capital 2000 करोड़ रू० (दो हजार करोड़ रू०) रखे जाने की प्रशासनिक स्वीकृति।	22.	स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

23.	नवगठित पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार के कार्यालय हेतु विभिन्न प्रकार के कुल 76 (छिहत्तर) पदों के सृजन के संबंध में।	23.	स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

24.	प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी समाजवादी एवं भूतपूर्व मंत्री स्व० सुखदेव प्रसाद वर्मा की पुण्य तिथि (प्रत्येक वर्ष 05 फरवरी) को राजकीय समारोह के रूप में मनाये जाने के संबंध में।	24.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

25.	राज्य के पश्चिम चम्पारण जिला के गौनाहा प्रखण्ड अन्तर्गत भितिहरवा बुनियादी विद्यालय, संकुल के 12 विद्यालयों (प्रारंभिक एवं प्राथमिक विद्यालय) एवं भितिहरवा स्थित एक कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के उन्नयन एवं बुनियादी शिक्षा की पुनर्कल्पना से संबंधित परियोजना प्रस्ताव के क्रियान्वयन हेतु संस्था के रूप में मनोनयन के आधार पर विकास प्रबन्धन संस्थान (DMI) के चयन की स्वीकृति के संबंध में।	25.	स्वीकृत।